प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
फैजाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, गाजीपुर एवं मीरजापुर ।

पत्रांक–जी0ओ0– 53 /सम्प्रेक्षा/2010–11 लखनऊ:: दिनांक::31 मार्च, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राकृत धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–692/26–ब0प्र0–2010–01बजट/2010, दिनांक 18 अगस्त, 2010 एवं शासनादेश संख्या–71/26–ब0प्र0–2011–06बजट/2010, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत क्रमशः अवमुक्त रू0 250.00 करोड़ एवं रू0 100.00 करोड़ में से दैवीय आपदा आदि हेतु आरक्षित रू0 35,00,00,000 (रू0 पैंतीस करोड़ मात्र) में से शासनादेश संख्या–510/38–4–11–01(बजट)/ 10, दिनांक 30 मार्च, 2011 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0 347.85 (रू0 तीन करोड़ सैंतालिस लाख पचासी हजार मात्र) उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा दी गयी प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में रू0 347.85 (रू0 तीन करोड़ सैंतालिस लाख पचासी हजार मात्र) संलग्नक के कालम–3 के अनुसार आपको आवंटित की जाती है ।

आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :–

1– योजनान्तर्गत कतिपय जनपदों द्वारा समर्पण के फलस्वरुप इस आदेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को सम्मिलित करते जनपद को अब तक आवंटित धनराशि का प्रगामी योग कोषाधिकारी एवं इस कार्यालय को मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय उक्त सन्दर्भित शासनादेशों में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जाएगा।

3– धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–आवास योजना–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा ।

5– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–180 पर कर ली गयी है।

भवदीय,
31/3/11
(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Shiv_Iay 2010.doc

पत्रांक–जी0ओ0– 53 /सम्प्रेक्षा/2010–11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन ।
4– सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन ।
5– सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी ।
6– सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
7– नियोजन अनुभाग–2/3, उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।
9– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन ।
10– ग्राम्य विकास अनुभाग–3/4, उ0प्र0 शासन ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

Annexure Of Letter No. G.O. 53/Sampreksha/MAY/2010-11 Dated :31-3-2011

Annexure:: Release of funds under Mahamaya Awas Yojana (Natural calamities)

SL	DISTRICT	Number of shelterless families	Amount Being released (Lakh Rs.)
1	2	3	4
1	FAIZABAD	147	66.15
2	MATHURA	4	1.80
3	SHAHJEHANPUR	178	80.10
4	RAMPUR	278	125.10
5	GHAZIPUR	124	55.80
6	MIRZAPUR	42	18.90
	Total	773	347.85

(Rs. Three crore fourty seven lakh eighty five thousand only)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

संख्या–510 / 38–4–11–01(बजट) / 10

प्रेषक,

रूद्र प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

31-3-11

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग– 4 लखनऊःदिनांक– 30 मार्च, 2011

विषय– वित्तीय वर्ष–2010–11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के अन्तर्गत स्वीकृत मात्राकृत धनराशि के व्यय / उपयोग करने के संबंध में।

अपरआयुक्त (लेखा) / अपरआयुक्त (कार्यक्रम)
31.3.2011

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव,समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–692 / 26–ब0प्र0–2010–01(बजट) / 2010,दिनांक–18 अगस्त, 2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष–2010–11 के लिए अनुदान संख्या–83 में बजट प्राविधानित धनराशि रू0–250.00 करोड एवं प्रथम अनुपूरक मांग के माधयम से शासनादेश संख्या–71 / 26– ब0प0–2011–06 (बजट) / 2010, दिनांक– 02 फरवरी, 2011 द्वारा रू0–100.00करोड़ के धनराशि की दी गई वित्तीय स्वीकृति अर्थात रू0–350.00 करोड़ की धनराशि में से आवंटित 10 प्रतिशत मात्राकृत धनराशि रू0–35.00 करोड में से अवशेष धनराशि रू0–12.1940 लाख में से बाढ़ से प्रभावित 773 आवास विहीन परिवारों के लिए महामाया आवास हेतु नीचे दिये गये प्रारूप में उल्लिखित जनपदो के सम्मुख अंकित धनराशि कुल रू0– 347.85 लाख(रूपये तीन करोड़ सैतालिस लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय किए जाने के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

कमांक	जनपद का नाम	आवास बिहीन परिवारो की सख्या	अपेक्षित धनराशि (लाख रूपये में)
1–	फैजाबाद	147	66.15
2–	मथुरा	04	1.80
3–	शाहजहॉपुर	178	80.10
4–	रामपुर	278	125.10
5–	गाजीपुर	124	55.80
6–	मिर्जापुर	42	18.90
योग–		773	योग–रू0– 347.85

1– उक्त स्वीकृति शासनादेश संख्या– 692/26– ब0प्र0– 2010–01 (बजट)/2010, दिनांक–18 अगस्त, 2010 में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धो के अन्तर्गत ही व्यय की जायेगी तथा उक्त शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि जनपद फैजाबाद,मथुरा,शाहजहॉपुर,रामपुर,मिर्जापुर एव गाजीपुर में दैवी में आपदा से प्रभावित हुए आवास बिहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही व्यय किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।यदि अवशेष धनराशि बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–510(1)/38–4–11,तददिनांक–

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3– प्रमुख सचिव,समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ,उ0 प्र0 शासन।
4– संबंधित जिलाधिकारी।
5– अपर आयुक्त(लेखा),ग्राम्य विकास,उ0 प्र0,लखनऊ।
6– संबंधित जनपद के कोषाधिकारी।
7– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग–3/रा0यो0आयोग–2।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।